फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री अजूर्न सिंह पिता फतहसिंह सोलंकी, नि0 107, केवल कोम्पलेक्स, नवागाम, सूरत
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 25/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.07.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक :– सू.का अधि0/2020–21/2904 दिनांक 16.07.2021 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लो0सू0 अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री अजूर्न सिंह पिता फतहसिंह सोलंकी का आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 13.05.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा आवेदन से बिन्दु संख्या 01 से 04 की सूचना चाही गई हैं। जिसमें बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना विकास अधिकारी कुम्भलगढ से सम्बन्धित होने से उपरोक्त सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/रसद/सू.का अधि0/2020–21/2265–66 दिनांक 19.05.2021 से निर्धारित अवधि में प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थी का आवेदन पत्र से संलग्न किया जाकर प्रार्थी को पत्र रजिस्टर्ड करवाया गया हैं। बिन्दु सं. 3 की सूचना एफ.पी.एस. कोड 27360 जी.एस.एस. लाम्बोडी एवं एफ.पी.एस. कोड 41320 जी.एस.एस. लाम्बोडी के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नही हुई हैं एवं न ही विभागीय प्रकरण दर्ज हुआ हैं एवं 4093 जी.एस.एस. गोवल एवं एफ.पी.एस. कोड 4144 में विभागीय प्रकरण दर्ज होने से संबंधित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार नियमानुसार वांछित सूचना 02 रूपये प्रति पृष्ठ कू हिसाब से 09x02 = 18 रूपये का शुल्क जमा कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2265–66 दिनांक 19.05.2021 के द्वारा प्रार्थी को लिखा गया हैं। बिन्दु संख्या 4 की सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुम्भलगढ से संबंधित होने से चाही गई सूचना निर्धारित अवधि में प्रार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थी का मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्रांक/रसद/सू.का अधि0/2020–21/2264 दिनांक 19.05.2021 से रजिस्टर्ड भिजवाया गया हैं। प्रार्थी द्वारा शुल्क 18 रूपये पोस्टल आर्डर से इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने से प्रार्थी को उपरोक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/रसद/सू.का अधि0/2020–21/2717 दिनांक 05.07.2021 से प्रार्थी को उपरोक्त पते पर डाक से रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। प्रार्थी अपीलार्थी के आर.टी. आई. आवेदन वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 4 तक की सूचना चाही गई उसमें से बिन्दु संख्या 3 की सूचना इस कार्यालय से संबंधित थी जिसकी सशुल्क राशि प्राप्त कर वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड प्रार्थी को दिनांक 05.07.2021 को प्रेषित	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

की जा चुकि हैं शेष बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना विकास अधिकारी कुम्भलगढ एवं 4 की सूचना उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ से संबंधित होने से उसे नियत समयावधि से संबंधित को अंतरण कर प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड प्रेषित की गई हैं। अतः इस कार्यालय से प्रार्थी को कोई सूचना दिया जाना शेष नही हैं।

लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को बिन्दु सं0 3 की वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड उपलब्ध करवायी जा चुकि हैं। शेष बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना विकास अधिकारी कुम्भलगढ एवं 4 की सूचना उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ से संबंधित होने से उसे नियत समयावधि से संबंधित को अंतरण कर प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड प्रेषित किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)